नियमानुसार विभागीय अधिसूचना क्र0 6(6)राज–6/92/पार्ट/2 दि0 19.1.10 का हिन्दी अनुवाद

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

प0क्र:–6(6)राज–6/92/पार्ट/2 जयपुर, दिनांक:-- 19.1.10

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं0 15) की धारा 90–क के साथ पठित धारा 261 की उप–धारा (2) के खण्ड (xi-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार , राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सपंरिवर्तन) नियम, 2007 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सपंरिवर्तन) (संशोधन) नियम, 2010 है।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होगें।

2. नियम 11 का संशोधन.– राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सपंरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 11 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् , निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

" परन्तु यह और कि जहां कोई अभिधारी, जिसने आवासीय कॉलोनी या वाणिज्यिक परियोजना के प्रयोजन के सिवाय अपनी भूमि किसी अकृषि प्रयोजन के लिए सपंरिवर्तित करायी है, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना भूमि अन्तरित करता है वहां ऐसा अन्तरण विहित प्राधिकारी द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि संपरिवर्तन आदेश की अधीन अधिरोपित शर्तो का अतिक्रमण नहीं किया गया है ऐसी भूमि के लिए सपंरिवर्तन प्रभारों के एक चौथाई के संदाय पर विनियमित किया जा सकेगा। "

राज्यपाल के आदेश से
ह0
(नरेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

प0क्र:–6(6)राज–6/92/पार्ट/2 | 8 जयपुर, दिनांक:– 20.4.10

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को इस विभाग की अग्रेंजी अधिसूचना दिनांक 19.1.2010 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. उपलेखाकार, एस0आर0ए0, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि इसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर प्रति भिजवाने का कष्ट करें।
10. निबंधक, राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर।
11. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व।
12. निदेशक, सूचना एव जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. सयुंक्त निबन्धक, लाइब्रेरी जज, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली।
14. रक्षित पत्रावली

उप शासन सचिव